फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी जैतारण (पाली)

प्रार्थी :– अभयसिंह पुत्र सुमेरसिंह **बनाम** :–अप्रार्थी :– जीवणराम पुत्र पोकरराम वगैरह

किस्म मुकदमा राजस्व प्रार्थना पत्र मु.नं. 150/सन 2021

हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
021	वकील प्रार्थी उपस्थित। वकील प्रार्थी ने एक राजस्व प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का विरुद्ध अप्रार्थीगण अन्तर्गत धारा 212 आर टी एक्ट 1955 के तहत इस आशय का पेश किया कि प्रार्थीया की खातेदारी कृषि भूमि सरहद मौजा डुंगरनगर पटवार हल्का डिगरना तहसील जैतारण मे खसरा नम्बर 204 रकबा 0.6070 हैक्टर, ख.नं. 205/1 रकबा 0.9717 हैक्टर भूमि आयी हुई हैं। उक्त आराजी प्रार्थी का 1/4 हिस्सा आता हैं, इसी हिस्से अनुसार मौके पर करबिज होकर काश्त करता चला आ रहा हैं। प्रार्थी एवं अप्रार्थी की संयुक्त सामलाती आराजी का कानूनन बाई मिट्ड एण्ड बाउण्ड्स के बंटवाड़ा नही हो रखा हैं। अप्रार्थी उक्त आराजी सामलाती होने से माठ / मेड़बन्दी को लेकर विवाद करते रहते हैं। प्रार्थी को अपने हिस्से से बेदखल करने पर आमदा हैं। बिना बंटवाड़ा करवाये ही किसी अजनबी केता को उेत आराजी का बैचान करने पर आमदा है सदि किसी िशिष्ट भू भाग का बैचान कर देगा तो अनेक कठिनाईया उत्पन्न होगी। प्रार्थना पत्र में वर्णित कृषि भूमि में प्रार्थीगण के कब्जे काश्त में दखलदांजी, अढ़चन नही करे, व बिना अंटवाड़ा करवाये किसी अजनबी केतागण को बेचान हस्तान्तरण आदि नही करें, खुर्द बुर्द कर किसी प्रकार का कच्चा पक्का निर्माण आदि नही करें। राजस्व रेकर्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखने हेतु अप्रार्थीगण को मूल वाद के निस्तारण तक जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंन्द किये जाने की ईस्तदुआं की हैं। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया । प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र, एवं दस्तावेजात का गहनतापूर्वक अध्ययन कर बहस अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा वकील प्रार्थी पर गौर कर मनन किया गया। विधिक प्रावधानों का अध्ययन किया गया, अतः आगामी तारीख पेशी तक वादग्रस्त आराजी का बैचान, हस्तान्तरण नही करें, अप्रार्थीगण को जरिये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना उचित समझते हैं। अतः अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा बहक प्रार्थी एवं विरूद्ध अप्रार्थीगण इस आशय की जारी की जाती हैं कि सरहद मौजा डुंगरनगर पटवार हल्का डिगरना तहसील जैतारण मे खसरा नम्बर 204 रकबा 0.6070 हैक्टर, ख.नं. 205/1 रकबा 0.9717 हैक्टर भूमि आयी हुई हैं। आगामी तारीख पेशी तक वादग्रस्त आराजी का बैचान, हस्तान्तरण नही करें, अप्रार्थीगण को जरिये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता हैं। वकील प्रार्थी आदेश 39 नियम 3 सीपीसी की पालना में तलबाना / नोटिसेज तीन दिवस में पेश करें। तलबाना पेश होने पर अप्रार्थी को जरिये नोटिसेज हो कि वह वजह जाहिर करें कि क्यों नहीं उक्त आदेश को वाद निर्णय तक पुख्ता किया जावें। पत्रावली आयन्दा दिनांक 06.10.2021 वास्ते जवाब प्रा0प0 पेश हो। सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी जैतारण (पाली)	780 2/9/21
?/?)	वकील प्रार्थी उप. वकील प्रार्थी ने प्रा. पत्र को Not-Press किया है। क्योंकि उक्त प्रकरण में आगे कोई कार्यवाही नहीं चाहते हैं। अतः प्रार्थी का प्रा.पत्र नहित Not-Press	Not press

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.01.24 16:40:54 IST
Reason: SelfAttested

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	खारिज किया जाता है। पत्रा. फैसला शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील पत्रावली दाखिल दफ्तर होवे। आदेश सुनाया गया। Sd/-

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.01.24 16:40:54 IST
Reason: SelfAttested